फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा बनाम राजकुमार

केस संख्या 47/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/11/23	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादिगण की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। आज दिनांक को [illegible] पेश हो।
	1/12/23	वकील वादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि वाद जारी रखने में वादी स्वयं व उनके मा[illegible] उपस्थित नहीं हो सकते, अतः वादी की ओर से पेरवी व आज्ञा टाइपिंग के लिए किया जाता है। पत्रावली के नाम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान